

**अनुमति की शर्तें ।**

- (1) जल संचय/सूक्ष्मजल के निर्माण की प्रतिक्रिया स्वामित्व विवाद नहीं करती है ।
- (2) विदेशी भी स्वयंसेवक विभाग (व्यवसायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण को संबंधित जलसंचय विभाग द्वारा जारी की निर्माण विज्ञापन पत्रों के लिए आवश्यक होना ।
- (3) मानक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक निर्माण को सुविधा देना ।
- (4) स्वीकृत नगर के विपरीत निर्माण कार्य होने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**स्वच्छ खिड़की सैन्य आवासीय योजना**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

जी+1  
आवासीय

अवेदन क्रमांक 627 दिनांक 15/07/2020  
 पथीगाहा एन पीकल सोशल एन 2 अमरी सुमन सोशल  
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009  
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No- 24 की अंश विकास  
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश जेन्द्रल स्कूल के पास एयर  
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 5751 जमा जोर्न एरिया  
 जरिये रसीद संख्या 1021/2601, 2602  
 दिनांक 15/07/2020 को जमा करा दी है ।

10/7/2020  
 सहायक नगर नियोजक  
 नगर निगम, जोधपुर

Received  
10/7/20  
9414135074